रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237689
CG-DL-E-29072022-237689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3346] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
No. 3346] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3511(अ).—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 28 मई, 2014 को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसके पश्चात् केआरएमबी कहा गया है) का गठन किया और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और प्रचालन के लिए इसमें उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने हेतु यह 2 जून, 2014 से प्रभावी हो गया;

और उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (i) उपबंध करती है कि बोर्ड साधारणतया संबंधित राज्यों को जल या विद्युत प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर कृष्णा नदी पर उन परियोजनाओं में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों, यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए;

और, 6 अक्टूबर, 2020 को आयोजित शीर्ष परिषद् की दूसरी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 15 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ 2842 (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना कहा गया है) के माध्यम से कृष्णा नदी के क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने के लिए केआरएमबी का क्षेत्राधिकार अधिसूचित किया।

और जबकि, उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना के पैरा 2 का खण्ड (च) यह उपबंध करता है कि अननुमोदित परियोजनाओं के चल रहे कार्यों को, पूर्ण और आंशिक रूप में, यदि कोई हो, तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना के प्रकाशन के एक वर्ष बाद की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन नहीं प्राप्त होते हैं;

और जबकि, उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना के पैरा 2 का खण्ड (छ) यह भी उपबंध करता है कि इसके प्रकाशन की तारीख से एक एक वर्ष के भीतर, दोनों राज्य सरकारें अननुमोदित परियोजनाओं को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करेंगी; और यदि उक्त एक वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त अनुमोदन प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी पूर्ण हो चुकी अननुमोदित परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा;

और जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) की ग्यारहवीं अनुसूची के पैरा 10 के अनुपालन में, जो इस प्रकार पठित है "निम्न सिंचाई परियोजनाएं, जो निर्माणाधीन हैं, को मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित की गई योजना के अनुसार पूरा किया जाएगा और पानी के बंटवारे की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः-

(i) हांदरी निवा

(ii) तेलुगु गंगा

(iii) गलेरू नागिरी

(iv) वेनेगोंडू

(v) कालवाकुर्थी

(vi) नेत्तेमपाडु "

और जबकि, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना के पैरा 2 के खण्ड (च) और (छ) के उपबंध आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) की 11वीं अनुसूची के पैरा 10 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना निम्न संसोधन करती है अर्थातः-

उक्त केआरएमबी क्षेत्राधिकार अधिसूचना के पैरा 2 में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी शर्त है कि निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट निम्न परियोजनाओं अथवा घटकों पर खण्ड (च) और (छ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-

परियोजना/घटक का नाम	अनुसूची-1 में क्रम संख्या	अनुसूची-2 में क्रम संख्या
हांदरी निवा लिफ्ट इरीगेशन स्कीमः पंप हाउस और सहायक कार्य	1.13	1.13
तेलुगु गंगा परियोजनाः टीजीसी हेड वर्कस	1.9	1.9
जीएनएसएस (गालेरू नागिरी) हेड वर्कस और सहायक संरचनाएं	1.19	1.19
वेलीगोंडा प्रोजेक्ट; हेड रेगुलेटर, टनल, सहायक कार्य और नालामाला सागर	1.10	1.10
कालवाकुर्थी लिफ्ट इरीगेशन स्कीमः पंप हाउस और सहायक कार्य; और कालवाकुर्थी लिफ्ट इरीगेसन स्कीम –	1.14 और 1.15	1.14 और 1.15

अतिरिक्त 15 टीएमसीः पंप हाउस और सहायक कार्य		
नेत्तेमपाडु एलआईएसः पंप हाउस और सहायक कार्य	14.2	15.2 ”

[फा. सं. आर -22012/1/2021- पेन रिव सेक्शन - एम ओ डब्ल्यू आर -पार्ट (3)]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना की अधिसूचना संख्या का.आ. 2842 (अ) के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 जुलाई, 2021 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. आ. 1563 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2022 के माध्यम से संशोधित की गई।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. **3511(E).—**Whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Krishna River Management Board (hereafter referred to as the KRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Krishna river in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

And whereas, in the 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board and accordingly, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government notified the jurisdiction of the KRMB to exercise the jurisdiction on Krishna river vide notification number S.O. 2842 (E), dated the 15th July, 2021 (hereafter referred to as the KRMB jurisdiction notification);

And whereas, clause (f) of paragraph 2 of the said KRMB jurisdiction notification provides that the ongoing works on unapproved projects, full or partial, if any, shall cease to operate if approvals as per the provisions of the said Act are not obtained within a period of one year after the publication of the said KRMB jurisdiction notification;

And whereas, clause (g) of paragraph 2 of the said KRMB jurisdiction notification also provides that within one year from the date of its publication, both State Governments shall complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council; and if the said approvals are not obtained within the stipulated time of one year, such completed unapproved projects shall cease to operate;

And whereas, in pursuance of paragraph 10 of the Eleventh Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014(6 of 2014), which reads as “the following irrigation projects which are under construction shall be completed as per the plan notified by the existing State of Andhra Pradesh and the water sharing arrangement shall continue as such:—

(i) Handri Niva

(ii) Telugu Ganga

(iii) Galeru Nagiri

(iv) Venegondu

(v) Kalvakurthi

(vi) Nettempadu ”

And whereas, the Government of Andhra Pradesh has informed that the provisions of clauses (f) and (g) of paragraph 2 of the said KRMB jurisdiction notification are not in consonance with the provisions of paragraph 10 of the Eleventh Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014(6 of 2014);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the said KRMB jurisdiction notification, namely:—

In the said KRMB jurisdiction notification, in paragraph 2, after clause (g), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the provisions of clauses (f) and (g) shall not apply to the following projects or components specified in the Table below, namely:—

Name of project/ component	**Serial number in Schedule - 1**	**Serial number in Schedule - 2**
Handri Niva Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works	1.13	1.13
Telugu Ganga Project: TGC Head Works	1.9	1.9
GNSS (Galeru Nagiri) : Head Works and Appurtenant Structures	1.19	1.19
Veligonda Project; Head regulator, Tunnel, Appurtenant works and Nallamala Sagar	1.10	1.10
Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works; and Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme – Additional 15 TMC: Pump house and Appurtenant works	1.14 and 1.15	1.14 and 1.15
Nettempadu LIS: Pump House and appurtenant works	14.2	15.2"

[F. No. R-22012/1/2021-Pen Riv Section-MOWR-Part (3)]

ANAND MOHAN, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 2842 (E), dated the 15th July, 2021 and amended vide notification number S.O. 1563 (E), dated the 1st April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.29 16:27:56 +05'30'